only to the candidates who are sponsored by the Medical Council of India.

श्री शंकर दयाल सिंह: सभापति जी, यह एक गंभीर प्रश्न है क्योंकि हजारों विद्यार्थी सोवियत संघ में तथा दूसरी जगहों में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो विद्यार्थी वहां मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो वहां उनकी शिक्षा का माध्यम रशन भाषा है और रशन भाषा में वे शिक्षा प्राप्त करते हैं.....

MR. CHAIRMAN: Please conclude quickly, I would like to take up one more Question, if possible.

श्री शंकर दयाल सिंह: उनकी भाषा रशन और और दवाइयां भी रशन हैं तो क्या भारत सरकार रशन भाषा में लिखे गए पर्चे को मान्यता देगी या उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था करेगी जिससे वे यहां भी भाषा का इस्तेमाल कर सकें?

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR: Sir, up to 10+2, they pursue their education in this country. After that, they go for medical education in that country, and for that they have to take up one-year language course in that country. And after that, for five years, they have to take up medical education. And after coming back, in this country, they generally prescribe this medicine and other things in English and the language they learnt in 10+2.

MR. CHAIRMAN: Quesiton No. 724.

Findings of People's Union for Democratic Rights Regarding Persons Arrested under Tada

*724. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:†

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Govenrment's attention has been drawn to the findings of a recent report by the People's Union for Democratic Rights revealing that out of the 53,000 persons arrested under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, since its inception in 1985, less than one percent have been convicted with not even one of those convicts relating to terrorist activity; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) The Govenment is aware of the low percentage of conviction under TADA.

(b) The State Govenment's have reproted that this is mainly because the witnesses hesitate to depose in terrorist cases due to fear of reprisal attacks by the terrorists, disruptionists and their associates, jumping of bail by the accused, absconding of the prime accused, non-acceptance of offical witnesses by the Judges etc.

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल ही एब्सर्ड है कि आतंकवादियों की डर से राजस्थान और गुजरात में लोग गवाही देने के लिए सामने नहीं आते हैं। मैं यह समझ सकता हूं कि काश्मीर में ऐसा हो सकता है। लेकिन गुजरात में जहां 17 हजार आदमी टाडा में विभिन्न आरोपों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उन को जेलों में रखा जाता है, इससे ज्यादा कंडमेनेशन की बात क्या होगी? सरकार ने कहा कि लो परसेंटेज है, एक परसेंट से भी कम हुआ है कंविक्शन और श्री कुलदीप नायर जैसे जर्नलिस्ट विद्वान लोगों ने लिखा है कि जो टोटल कंविक्शन हुआ है वह लैस दैन वन परसेंट है। "Not a single conviction was under the Section relating to terrorist activities." एक आदमी को सजा नहीं मिली। ऐसी हालत में मैं आप से जानना चाहता हूं कि टाडा का जो मिसयूज हो रहा है उस पर विचार करने के लिए क्या ह्यूमन राइटस कमीशन को आप देंगे कि पूरे मामले की जांच करे और आपको बताए कि इस का कितना दुरुपयोग हुआ है? क्या इस कानून को रखने की जरूरत है या नहीं, इसकी जांच कराने का आदेश देंगे नहीं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों जगह आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो रही है टाडा के चलते?

†The Quesiton was actually asked on the floor of the House by Shri Chaturanan Mishra.

श्री राजेश पायलेट: श्रीमन्, यह बात सही है कि जब टैरोरिस्ट ऐक्ट बनाया गया था, उसका जो ध्येय था, उस समय प्रान्त सरकारों को टेरोरिस्टों और डिसरप्टिव फोसेंज से डील करने के लिए यह कानून बनाया गया था, लेकिन वह भावना उतनी सफल नहीं हो पाई। मैं इस बात से सहमत हूं कि करीब 67 हजार लोग टाडा में अरेस्ट हुए जिनमें से 95 प्रतिशत बेस पर इधर उधर निकलने में सफल हो गए। गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी के लेवल पर बार बार को सटेट गवर्नमेंटस को लिखा और जब 1993 में हमने ऐक्ट को अमेंड करने के लिए कहा तो गृह मंत्री जी ने उनको कहा कि ऐसा मूव हो जिससे इस पर सख्ती होकर ऐकाउंटेबिलिटी आए और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद रिव्यू कमेटी बने, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और आई०जी० पुलिस की और इसके बाद ही चार्जशीट फाइल हो। सरकार इससे चिंतित है। जो भी मुख्य मंत्री जी से बात हुई है जिस लेवल पर....

श्री चतुरानन मिश्र: मेरे मेन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री राजेश पायलट: मैं उसी पर आ रहा हूं.....

श्री चतुरानन मिश्र: घड़ी की तरफ देखिए टाइम खत्म हो रहा है।

श्री राजेश पायलट: मैं घड़ी की तरफ देख कर ही बता रहा हूं।

श्री चतुरानन मिश्र: जितने भी केसेज हुए हैं उनको आप रेव्यू करने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को देंगे?

श्री राजेश पायलट: सरकार इस बात के लिए पूरी चिंतित है और हर प्रांत की सरकार से यह कहा है कि जो भावना सरकार की टाडा को लाने के वक्त थी अगर वह भावना इसमें नहीं आ रही है, उस तरीके से इसका यूज नहीं हो रहा है जिस भावना से पार्लियामेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को अथोरिटी दी थी, बल्कि कई सोर्सेज से यह प्रोपोजल आया है कि टाडा को रिपील किया जाए। स्टेट गनर्वमेंट की तरफ से भी आया है परपज सर्व नहीं हो रहा है तो वह भी सरकार कंसीडर कर रही है। मई, 1995 में इसकी मियाद पूरी हो रही है। अगर उस समय यह महसूस हुआ इसका वह परपज सर्व नहीं हो रहा है तो वह आप्शन भी सरकार के सामने है। सरकार लोगों से पालिटिकल पार्टीज से बात करके पार्लियामेंट के सामने आयेगी और इस फेक्टर को कंसीडर करेगी। यह बात सही है कि स्टेट गनर्वमेंट्स उस भावना से उसको यूटीलाइज नहीं कर रही है। जो फिगर्स आपने राजस्थान की दी वह थोड़ी गलत है। करीब 400 आदमी राजस्थान में अरेस्ट हैं, 10 हजार नहीं हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: 17 हजार हैं।

श्री राजेश पायलट: मुझे वह फिगर मिली है सरकार से। जो प्रांत हैं उसमें ज्यादातर नार्थ-ईस्ट, पंजाब, महाराष्ट्र आदि के नाम ज्यादा हैं। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN. Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Agreement between Bharat Petroleum and Shell International

*725. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the salient features of the terms and conditions of the protocol signed between Bharat Petroleum Corporation and Shell International for blending and marketing of Shell Lubricants in India;

(b) whether the initial blending of Shell branded Lubricants will be carried out at BPC's facilities, if so, by when the joint venture company would set up its own blending plants; and

(c) what would be the future of the existing blending plants of the Bharat Petroleum Corporation including its manpower?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) This salient features of the agreement between Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPC) and shell Overseas Investments B.V. (Shell), for blending and marketing of shell-branded lubricants in India, are:

(i) BPC and Shell will set up a Joint Venture Company (JVC) in India, with 49% equity participation by BPC and 51%